ग्राम पंचायत तुंग, विकास खण्ड मण्डी, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत तुंग, विकास खण्ड मण्डी, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमान सिंह	01.4.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमती नीलमा देवी	23.1.2016 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री धनी राम	01.04.2014 से 20.01.2017
2	श्रीमती भारती	21.01.2017 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत तुंग के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक शेष में अन्तर	0.23
2	4.2	बैंक खातों का रोकड़ बही के अन्तशेष का मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.30
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	17.47
5	7	औपचारिकताओं के बिना क्रय	3.33
6	8	निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किए बिना करवाना	10.29

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत तुंग, विकास खण्ड मण्डी, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.17 से 21.11.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	03/15	09/14
2015—16	03/16	01/16
2016—17	09/16	12/16

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत तुंग, विकास खण्ड मण्डी, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9 के प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 21.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत तुंग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(1) स्वः स्त्रोतः—

ग्राम पंचायत तुंग के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2014—15	65864	16755	82619	9468	73151
2015—16	73151	48412	121563	9302	112261
2016—17	112261	82850	195111	15031	180080

(2) अनुदानः—

ग्राम पंचायत तुंग के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है।

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2014—15	279288.40	1673264	1952552.40	1587682.50	364869.90
2015—16	364869.90	2452350	2817219.90	1555437	1261782.90
2016—17	1261782.90	2156170	3417952.90	1670847	1747105.90

4.1 दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.23 लाख का भारी अन्तरः—

स्वः स्त्रोतः—

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का अन्तशेष 180080

अनुदानः—

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	1747105.90
कुल योग	**1927185.90**
दिनांक 2.3.17 को खाता संख्या 11580 में जमा अनुदान जिसकी रोकड़ बही में प्रविश्टि नहीं की गई	(+) 10440
रोकड़ बहियों का वास्तविक शष	1937625.90
दिनांक 31.3.17 को बैंकों में जमा राशि (संलग्न विवरण **परिशिष्ट–II**)	1959799.00
दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत	61090
कुल योग	**1960409.90**
अन्तर 1960409.90–1937625.90	22784.00

समय पर बैंक खातों का रोकड़ बहियों के साथ मिलान न करने के कारण, दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों के अन्तशेष तथा बैंक खातों के शेष में ₹22784 का अन्तर पाया गया, यह राशि बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में अधिक जमा पाई गई। रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंक खातों के शेष के साथ मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 20.11.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत तुंग की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पचांयत राजस्व ₹0.30 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत राजस्व/स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत

राजस्व/गृहकर ₹30440 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये तथा रिलायन्स कम्पनी के मोबाईल टावर की स्थापना की तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करके स्थापना की तिथि से दिनांक 31.3.17 तक मोबाईल टावर फीस की निर्धारित दर पर वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹17.47 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित सूचना **परिशिष्ट—I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1747105 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.33 लाख के स्टॉक का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹332994 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है तथा क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई है जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा क्रय सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में खपत विवरण सहित प्रविष्टियाँ की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व

तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न वर्णित निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वहीं खाते भी तैयार नहीं किये गये जिससे वर्णित कार्यों पर व्यय की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी को कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किये गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	**निर्माण कार्य का विवरण**	**शीर्ष**	**कार्य हेतु प्राप्त अनुदान राशि**
1	गांव अरठा में पक्का रास्ता व नालियों का निर्माण	13FC.	85000
2	लघु वचन आवासों के पास पार्किंग	SDP/DCP	98000
3	श्री ज्योति प्रकाश के घर के पास डंगे का निर्माण	-do-	51550
4	मत्सय विभाग कार्यालय के पास डंगे का निर्माण	CRF/NCR	196000
5	लोचर म्यूली सम्पर्क मार्ग	-do-	98000
6	श्री अमर चन्द सुपुत्र श्री आलम का भूमि विकास	MANREGA	100000
7	श्री भूपेन्द्र सुपु0 श्री आलम का भूमि विकास	-do-	100000
8	श्री राकेश मण्डयाल की भूमि पर टैंक का कार्य	-do-	100000
9	श्री टेक चन्द की भूमि पर टैंक का कार्य	-do-	100000
10	श्री संकमरू सुपुत्र नरोतम की भूमि पर टैंक का कार्य	-do-	100000
		कुल योग	**1028550**

G.P. Tung

9 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पचांयत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत भी करवाया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

G.P. Tung

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

13 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत तुंग के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 43 / 2017—खण्ड—1—2363—2366 दिनाँक 03.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत तुंग विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881